

# SHAKUNTALAM INSTITUTE OF TEACHERS EDUCATION

KIRHINDIH, KUMHAU STATION ROAD, SHIVSAGAR

COURSE NAME - B.Ed.

SESSION - 20-22

SUBJECT - C-5

TOPIC NAME - Educational Opportunities

DATE - 23-06-21

---

\* शैक्षिक अवसरों की समानता

\* अर्थ \* परिभाषा \* आवश्यकता व महत्व :-

Introduction:- शिक्षा में समानता शब्द फ्रांस की क्रांति से आया, सन् 1974 में भारत में इस शब्द को अपनी शिक्षा से जोड़ा गया। अनुच्छेद 46 के अनुसार "राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षिक अधिकारों की देखभाल"

समानता से तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों से है जिनके कारण सभी को बराबरी से अपने व्यक्तित्व का विकास अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार करने का अवसर मिले, एवं सभी को उन्नति के सामान अवसर मिले।

शिक्षा जैसी बहुमूल्य प्रक्रिया जिससे संपूर्ण मानव जाति का विकास होता, सभी को प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

\* शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ :-

शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है जाति या धर्म के आधार पर हो रहे भेदभाव, आर्थिक रूप से व्यक्तियों के साथ भेदभाव तथा लिंग के आधार पर हो रहे भेदभावों को दूर करना।

समाज में हर जाति-धर्म, गरीब और महिला पुरुष एवं अन्य को बराबरी के साथ शिक्षा प्राप्त करने की भरपूर आजादी हो। यह सभी का संवैधानिक अधिकार भी है।

(P.T.O)

\* शैक्षिक अवसरों की समानता परिभाषा:-

विभिन्न शिक्षा शास्त्रीयों ने अपने-अपने अनुसार परिभाषित किया है, उनमें से कुछ परिभाषण निम्नलिखित हैं।

⇒ रूसो के अनुसार :- "

शैक्षिक समानता देशवासियों के धन समर्पण के कारण नहीं अपितु बालकों के सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के कारण होती है।"

⇒ डीवी के अनुसार

"समानता एक वैधानिक पद है, जिसके अनुसार शिक्षा का वितरण क्षमता एवं योग्यता के आधार पर होना चाहिए।"

\* आवश्यकता व महत्व :-

- 1. मानव अधिकार
- 2. लोकतंत्र के लिए आवश्यक
- 3. राष्ट्र की प्रगति
- 4. आधुनिकरण की गति तेज करना
- 5. आर्थिक निकट सम्पर्क
- 6. आधुनिकरण की गति प्रदान करना
- 7. समानतावादी समाज की स्थापना
- 8. प्रतिभा की खोज
- 9. समाज का समाजवादी प्रतिमान

1. मानव अधिकार :- हमारे देश के संविधान में सभी मानव को अधिकार दिये गये हैं। धर्म, वंश या जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित रखना मानवअधिकार से वंचित करना कहलायगा।
2. लोकतंत्र के लिए आवश्यक :- लोकतंत्र जहाँ सभी को अपने-अपने रस्म व रिवाज को अपनाने की पूरी आजादी होती है, वहीं शिक्षा भी प्राप्त करने की समानता की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र से सभी लोगों को शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक संस्थान की सफला निश्चित की जाती है।
3. राष्ट्र की प्रगति :- जब सभी को बराबरी से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा तो राष्ट्र की प्रगति तेजी से होगी।
4. आधुनिकरण की गति :- सभी व्यक्ति जब समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने लगेंगे तो, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में आधुनिकरण की प्रक्रिया में गति आयेगी।
5. अधिक निकट संपर्क :- जब समाज में सभी को समान रूप से शिक्षा मिलेगी तो मानव-शक्ति, संबंधी आवश्यकताओं और कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता में अधिक संपर्क विकसित होगा।
6. समानतावादी समाज की स्थापना :- समानतावादी समाज की स्थापना के लिए समाज जिसमें समानता और सामाजिक न्याय के मानक हैं - शिक्षा में समानता के लिए आवश्यक है।
7. प्रतिभा की खोज :- प्रत्येक मनुष्य में कुछ विशेष प्रतिभा, गुण होते हैं मगर वे गरीबी, या पिछड़े वर्ग में होने के कारण शिक्षा नहीं ले पाते एवं उनकी प्रतिभा खोयी रह जाती है।  
जब सभी को एक समानता से शिक्षा दी जाएगी तो हमें प्रतिभाशाली बालकों की खोज करने में आसानी होगी।
8. समाज का समाजवादी प्रतिमान :- जब सभी व्यक्ति को समानता से शिक्षा दी जाएगी तो समाज के समाजवादी प्रतिमान की स्थापना की प्रक्रिया में शिक्षा में समानता मैन क्रान्ति लाने में सहायता कर सकती है।

अपूर्ण - अधी

Copy

निष्कर्ष:- उपरोक्त विवेचनाओं से निष्कर्षतः कह सकते हैं की शिक्षा जैसी बहुमूल्य प्रक्रिया जिसमें सम्पूर्ण मानव जाति का विकास होता है, इस बहुमूल्य प्रक्रिया को पात्र की समानता समाज के हर अमीर, गरीब, उंची जाति, निच्यी जाति आदि को एक समाज मिले, किसी को भी इसमें वंचित नो रखा जाए।

संविधान श्री पृथेक नागरिक को शिक्षा बिल्कुल समानता के साथ प्राप्त करने का अधिकार देता है। यदि शिक्षा में समानता पूरी तरह इमानदारी से लागू कर दिया जाए तो हमारे देश की उन्नति अविकल होगी।

क्योंकि ~~समानता~~ समानता हम सब का अधिकार है।